भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1752

दिनांक 10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए
भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क

1752 श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ प्रमुख व्यापारिक भागीदार देशों ने भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क में वृद्धि कर दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार और उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त बढ़े हुए शुल्कों के प्रभाव को कम करने और वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में क्या नीतिगत और व्यावहारिक उपाय किए जा रहे हैं:

(ग**)** क्या सरकार ने भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर उक्त बढ़े हुए शुल्कों के प्रभाव का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा निर्यात बाजारों में विविधता लाने, नए बाजारों का विकास करने और अधिक मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अल्पावधि में क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): दिनांक 7 अगस्त, 2025 को, भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार देशों में से एक, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) ने भारत से अमेरिका को निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर 25% का पारस्परिक टैरिफ लगाया। इसके अलावा, दिनांक 27 अगस्त, 2025 से भारत से निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर 25% की अतिरिक्त मूल्य-आधारित शुल्क दर भी लागू की गई थी। भारत और अमेरिका ने दिनांक 7 फरवरी, 2026 को घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका (यूनाईटेड स्टेट्स) और भारत पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार (अंतरिम समझौते) के संबंध में एक अंतरिम समझौते के लिए एक कार्यढांचे पर सहमत हो गए हैं। मेक्सिको ने डब्ल्यूटीओ के फ्रेमवर्क की भीतर उन देशों पर लागू होने वाले एमएफएन आयात टैरिफों में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है जिनका मेक्सिको के साथ मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। इस उपाय से सामान्य आयात और निर्यात कर कानून के तहत लगभग 1,455 टैरिफ लाइनों में संशोधन किया गया है, जिससे मुख्य रूप से चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और भारत प्रभावित होंगे। संशोधित टैरिफ 5% से 50% तक की रेंज में होंगे, जिसमें अधिकांश उत्पादों पर लगभग 35% शुल्क लगने की संभावना है।

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2224783&reg=3&lang=2

(ख) से (घ) : सरकार ने घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने, आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, आयात के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करने और वैश्विक कारकों के कारण व्यापार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने सहित आर्थिक मजबूती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई अग्र-सक्रिय कदम उठाए हैं। निर्यात को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कई महत्वपूर्ण पहल और नीतिगत उपाय किए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के व्यापार राहत उपाय, निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना, अगली पीढ़ी के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों के माध्यम से घरेलू मांग में वृद्धि, नए निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) जैसे निर्यात संवर्धन उपाय, ये सभी हमारे निर्यातकों को सहयोग और सहायता प्रदान करते हैं।

व्यापार समझौते के प्रभाव का आकलन करना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार व्यापार को बढ़ावा देने और व्यापार युद्धों के प्रभाव को कम करने के लिए उद्योग संघों, संबंधित हितधारकों के साथ लगातार नियोजित है, जिनमें विदेशों में भारतीय मिशन, निर्यात संवर्धन परिषदें, व्यापार संघ और संबंधित मंत्रालय/विभाग शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य व्यापार संवर्धन, मुक्त व्यापार समझौतों, व्यापार सुगमता और आयात-निर्यात से संबंधित उपचारात्मक उपायों के माध्यम से व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। सरकार ने घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने और देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर कई पहल और उपाय किए हैं:

(i) दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य भारत को वैश्विक बाजार में अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करने, व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने और देश को एक विश्वसनीय और भरोसेमंद व्यापार भागीदार के रूप में स्थापित करने के लिए बनाया गया है।

(ii) श्रम-उन्मुख वस्त्र क्षेत्र के कुछ वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना दिनांक 7 मार्च, 2019 से कार्यान्वित है।

(iii) (iii) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट (आरओडीटीपी) योजना दिनांक 1 जनवरी, 2021 से कार्यान्वित की गई है। आरओडीटीपी योजना का लाभ इस्पात, फार्मा और रसायन जैसे क्षेत्रों को भी दिनांक 15 दिसंबर, 2022 से दिया गया है ताकि इन क्षेत्रों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके। वर्तमान में, लगभग 10,780 टैरिफ लाइनें (8-अंकीय आईटीसी (एचएस) कोड) इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आरओडीटीपी योजना के लिए बजट आवंटन 18,232 करोड़ रुपये है। आरओडीटीपी योजना का लाभ घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए)/ एए/ ईओयू/ एसईजेड इकाइयों से होने वाले निर्यात पर दिनांक 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाया गया हैं।

(iv) निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के उपयोग को बढ़ावा देने और व्यापार को सुगम बनाने के लिए मूल प्रमाण पत्र जारी करने हेतु एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।

(v) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर, इन उत्पादों के निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करके और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/निर्माताओं को सहायता प्रदान करके 'जिलों निर्यात केंद्र' पहल शुरू की गई है।

(vi) सरकार ने एमएसएमई सहित सभी भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी जानकारी और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक एकीकृत डिजिटल इंटरफेस के रूप में ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म शुरू किया है। यह प्लेटफॉर्म सभी भारतीय उत्पादों के लिए मूल प्रमाण पत्र जारी करने हेतु एक एकल मंच के रूप में कार्य करता है। यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों के लिए शुल्क, विश्व स्तर पर होने वाली व्यापारिक घटनाओं, उत्पाद और देश-विशिष्ट व्यापार डेटा और अनुपालन, अंतरराष्ट्रीय खरीदार डेटा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सीखने के संसाधनों सहित विभिन्न प्रकार की जानकारी भी प्रदान करता है। भारतीय दूतावासों, निर्यात संवर्धन परिषदों, एक्जिम बैंक और वाणिज्य विभाग के अधिकारी इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं जिसमें लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता है (जनवरी 2026 तक)।

(vii) दिनांक 12.11.2025 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित और केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम), भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 25,060 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ एक प्रमुख, परिणाम-आधारित पहल है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से एमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वालों और श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए; एक सहयोगात्मक, ईडीआई-संचालित ढांचे के माध्यम से कार्यान्वित, यह विभिन्न हस्तक्षेपों को दो उप-योजनाओं में समेकित करता है - **निर्यात प्रोत्साहन**, जो किफायती व्यापार वित्त सहायता प्रदान करता है, और **निर्यात दिशा**, जो गुणवत्ता अनुपालन, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स, बाजार पहुंच और क्षमता निर्माण जैसी गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(viii) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा देने में विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों की सक्रिय भूमिका को बढ़ाया गया है। विदेशों में स्थित वाणिज्यिक दूतावासों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों/प्राधिकरणों और उद्योग संघों के साथ निर्यात कार्य-निष्पादन की नियमित निगरानी और समय-समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

****